न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 26/2020

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. नेमीचन्द पुत्र भैरा राम जाति पालीवाल निवासी पालीवाल का वास, पचपदरा जिला बाड़मेर (मैसर्स राजेन्द्र कुमार नेमीचन्द, पचपदरा जिला बाड़मेर का मालिक)
2. अशोक कुमार पालीवाल पुत्र गंगा राम निवासी मालियों का वास, उम्मेदपुरा, बालोतरा जिला बाड़मेर (फर्म मैसर्स बालाजी एजेन्सी, मूंगडा रोड, बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक)
3. विक्रमांत भाई कनूभाई शाह प्रोप्राइटर ऑफ 136, जय जलाराम नगर, बीएच एलबीसी रोड, बापूनगर, अहमदाबाद फर्म मैसर्स हर्ष मार्केटिंग 2019/20, 4, कृष्णा जोयट अपार्टमेंट, चमक चूना फेक्ट्री के सामने, ठक्करनगर रोड, अहमदाबाद का प्रोप्राइटर
4. सुखाडिया भुपतभाई नारायण भाई, शॉप न0 07 सत्यम शिवम सुन्दरम अपार्टमेंट, राजहंस टॉवर के पीछे, मुख्य रोड मोटा, वर्चा, सूरत प्रोप्राइटर ऑफ श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सरथना झकतनाका, वर्चा रोड सूरत

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:14 IST
Reason: SelfAttested

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स राजेन्द्र कुमार नेमीचन्द, पचपदरा जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **20.06.2019** को एक कार्टून में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल **घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल)** के कुल 4 पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1045** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परि[illegible]ली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्ग[illegible] है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **04.07.2019** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रस्तुत परिवाद **घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल)** से संबंधित है, जिसमें Butyro-refractometer reading at 40° C 40.00 to 43.00 के मुकाबले 42.64 पाया गया है जो कि अवमानक स्तर का है। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/- एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 पर संयुक्त रूप से रूपये 2,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:14 IST
Reason: SelfAttested